

राजस्थान सरकार



## निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन, जय सिंह हाईवे, जयपुर-302016

क्रमांक:- प.4(2)/सीआरएस.एसआईपीएफ/लोक सेवा, गारन्टी एमपीआर/2025 3804

दिनांक:- 28/1/26

अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
मुख्यालय, जयपुर।

विषय:- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के मासिक प्रतिवेदन माह  
दिसम्बर 2025 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के मासिक प्रतिवेदन  
विवरण की सूचना निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	अपीलार्थी का नाम व पता	प्रथम अपील करने की तारीख	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम (कार्यालय के नाम के साथ) जिसके आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई है।	प्रथम अपील के निपटान के लिये नियत समय सीमा की अंतिम तारीख	अपील आदेश की तारीख और ब्यारे
1	2	3	4	5	6
शून्य					

भवदीय

अतिरिक्त निदेशक (शिकायत निवारण)  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,  
मुख्यालय, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Surbhi Bhargav  
Designation: Additional Director  
Date: 2026.01.28 17:36:23 IST  
Reason: Approval

RajKaj Ref No.:  
20129192

